



उत्तराखण्ड विधान सभा की अनुपूरक कार्यसूची

गुरुवार, 26 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1944
(दिनांक : 16 जून, 2022)

21 (क) उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ, यदि कोई हों।

(कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-“क”)

21 (ख) वित्तीय वर्ष, 2022-2023 के आय-व्यय की मांगों पर चर्चा एवं मतदान:-

(1) निर्वाचन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रुपये 962871 हजार (रुपये छियानवे करोड़ अठ्ठाईस लाख ईकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

(2) वित्त मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रुपये 124104764 हजार (रुपये बारह हजार चार सौ दस करोड़ सैंतालीस लाख चौसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (3) आबकारी मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रुपये 404200 हजार (रुपये चालीस करोड़ ब्यालीस लाख मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (4) सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रुपये 2060486 हजार (रुपये दो सौ छ करोड़ चार लाख छियासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (5) सिंचाई मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रुपये 13261887 हजार (रुपये एक हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ अठारह लाख सत्तासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (6) पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रुपये 3568929 हजार (रुपये तीन सौ छप्पन करोड़ नवासी लाख उन्नीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (7) कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-29 औद्योगिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रुपये 5354835 हजार (रुपये पांच सौ पैतीस करोड़ अड़तालीस लाख पैतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (8) शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए रुपये 104939199 हजार (रुपये दस हजार चार सौ तिरानवे करोड़ इक्यानवे लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

- (9) वन मंत्री, श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए रुपये 9432401 हजार (रुपये नौ सौ तैतालीस करोड़ चौबीस लाख एक हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ख))

देहरादून :
दिनांक : 16 जून, 2022

आज्ञा से,

(मुकेश सिंघल)
सचिव।

नत्थी-“क”

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 जून, 2022 की बैठक में दिनांक 16 एवं 17 जून, 2022 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

दिनांक: 16 जून, 2022 (बृहस्पतिवार)

1. माननीय वित्त, वाणिज्य कर, स्ट्याम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर, संसदीय एवं विधायी कार्य, निर्वाचन, आबकारी, जनगणना, भाषा, प्रोटोकाल मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या- 05 निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
08 आबकारी विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

2. माननीय सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएँ, जलागम प्रबन्धन, सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 18 सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
20 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (15 मिनट)

3. माननीय पर्यटन, औद्योगिक विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 26 पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
29 औद्योगिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

4. माननीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, कला एवं संस्कृति, वन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
27 वन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

दिनांक: 17 जून, 2022 (शुक्रवार)

1. माननीय कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, पेयजल, जलापूर्ति, शहरी विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

2. माननीय परिवहन, नागरिक उड्डयन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

- अनुदान संख्या 24 परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)
 31 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

3. माननीय पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

- अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

4. माननीय श्रम, सेवायोजन, आवास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

- अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

5. माननीय मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग।

- अनुदान संख्या 01 विधान सभा के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।
 02 माननीय राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। -तदैव-
 03 मंत्रिपरिषद् के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। -तदैव-
 04 न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। -तदैव-
 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 09 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। विवाद नहीं होगा।
 10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 14 सूचना विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 15 कल्याण योजनाओं से सम्बद्ध विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 19 ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 21 ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 22 लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
 25 खाद्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 का विचार एवं पारण (15 मिनट)
2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 का विचार एवं पारण (15 मिनट)
3. उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 का विचार एवं पारण (15 मिनट)

असरकारी संकल्पों के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

1. श्री महेश जीना, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/ तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।” (15 मिनट)
2. श्री आदेश सिंह चौहान, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद ऊधम सिंह नगर के अर्न्तगत विधान सभा क्षेत्र जसपुर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवरखेड़ा को उच्चीकृत किया जाय।” (15 मिनट)
3. श्री सुमित हृदयेश, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नगर निगमों के पार्श्वों एवं सभासदों को मानदेय दिया जाय।” (15 मिनट)
4. श्री प्रीतम सिंह पंवार, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डों को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।” (15 मिनट)
5. श्री उमेश कुमार, “इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानीय युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।” (15 मिनट)

नियम- 105 के प्रस्ताव प्रस्तुतीकरण हेतु तिथि निर्धारण पर विचार:-

1. श्री आदेश सिंह चौहान, “यह सदन प्रस्ताव करता है कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जसपुर, जगतपुर पट्टी में महिला डिग्री कॉलेज में सह-शिक्षा (Co Education) कराया जाय।” (15 मिनट)
2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, “यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थतयूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।” (15 मिनट)
3. श्री सुमित हृदयेश “यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी नगर निगम में मलिन बस्ती एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में निवास कर रहे नागरिकों को विस्थापित/नियमितीकरण किया जाय।” (15 मिनट)
4. श्री उमेश कुमार “यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कर्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।” (15 मिनट)

असरकारी विधेयक

“उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2022” का पुरःस्थापन।

नत्थी-“सु”

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के अनुदान मांगों में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या:-05, 07, 08, 18, 20, 26, 29, 11, 27

प्रस्तावकों के नाम

प्रस्ताव का प्रारूप

1. श्री यशपाल आर्य,
2. श्री प्रीतम सिंह,
3. श्री राजेन्द्र भण्डारी,
4. श्री मयूख महर,
5. श्री हरीश सिंह,
6. श्री तिलकराज बेहड़,
7. श्री फुरकान अहमद,
8. श्रीमती ममता राकेश,
9. श्री मनोज तिवारी,
10. श्री मदन बिष्ट,
11. श्री आदेश चौहान,
12. श्री गोपाल सिंह राणा,
13. श्री विक्रम सिंह नेगी,
14. श्री भुवन कापड़ी,
15. श्रीमती अनुपमा रावत,
16. श्री सुमित हृदयेश,
17. श्री खुशाल सिंह अधिकारी,
18. श्री रवि बहादुर,
19. श्री विरेन्द्र जाति।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।